कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कमॉक/96/अ.जि.म./2021 दुर्ग, दिनॉक 5 अप्रैल, 2021

कोरोना वायरस (कोविड–19) के बढ़ते संकमण की रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश कमॉक 93/अति.जि.मं./2021 दुर्ग, दिनॉक 02 अप्रैल, 2021 के माध्यम से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा–144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनॉक 6 अप्रैल, 2021 से 14 अप्रैल, 2021 तक दुर्ग जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये लॉक डाउन घोषित किया गया है ।

उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लॉक डाउन अवधि में बंद रहेंगे । कार्यालय प्रमुख व्दारा आवश्यकतानुसार अधिनस्थ अधिकारी /कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा । अतएव समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे ।

जिला मजिस्ट्रेट दुर्ग (छ.ग.)

(डॉ0 सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

पृ0कमॉक/ 97 /अ.जि.मं./2021 दुर्ग, दिनॉक 5 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दुर्ग/यातायात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व थाना प्रभारी, जिला–दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

PA2col.